


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी/संस्कृत) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 5 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम व्या. मय विषय एवं पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन ब्रेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिरधी लाल, संस्कृत राउमावि मण्डावरा, कोटा	15.06.1958	डी पी सी	20.11.1979	III 30 वर्षीय	9300-34800	4800	20.11.2009
2	कैलाश चन्द्र शर्मा, संस्कृत, राउमावि बडलियास भीलवाड़ा	01.01.1972	डी पी सी	23.08.1995	II 20 वर्षीय	9300-34800	5400	23.08.2015
3	भीकूलाल व्यास, संस्कृत, राउमावि जैतारण, पाली	10.07.1970	डी पी सी	12.08.1995	II 20 वर्षीय	9300-34800	5400	12.08.2015
4	गोविन्द लाल मीणा, संस्कृत, राजकीय महारावल, उमावि. डूंगरपुर	05.02.1957	डी पी सी	01.07.1984	III 30 वर्षीय	9300-34800	5400	01.07.2014
5	मोहन लाल धाकड़, अंग्रेजी, राउमावि पचाला, टोंक	09.09.1957	डी पी सी	01.07.1985	III 30 वर्षीय	15600-39100	6000	01.07.2015


उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जावे।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक :- 17/8/16

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/2015-16

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-I/II),
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर